पुलिस आदेश संख्या 223 / 1991.

विषय:- पुलिस पदकों तथा पारी से बाहर प्रोन्नति की अनुशंसा भेजने की प्रक्रिया के संबंध में।

अपराध नियंत्रण और विधि- व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत होने वाली कठिन चुनौतियों का निर्भीकतापूर्वक सामना करने में जिलों में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मी निरन्तर जूझते रहते हैं। ऐसे सक्षम और कर्त्तव्यनिष्ठ पदाधिकारियों/कर्मियों को पुलिस पदक प्रदान करने तथा पारी से बाहर प्रोन्नति देने की अनुशंसा इस मुख्यालय में बहुत कम प्राप्त होती है। अतः आदेश दिया जाता है कि इसके लिए प्रक्षेत्रीय आरक्षी महा-निरीक्षक की अध्यक्षता में एक पर्षद का गठन किया जाय जिसके सदस्य सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक रहेंगे जो वर्ष में कम-से-कम दो बार अपने अधीनस्थ जिलों के अच्छे पुलिस पदाधि-कारियों/कर्मियों के उत्कृष्ट और साहसिक कार्यों और उनके सेवाभिलेखों की समीक्षा करके उनके संबंध में अनुशंसा कर सके।

2- जहां तक वीरता पदक की अनुशंसा की बात है भारत सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि घटना के एक वर्ष के अन्दर अनुशंसा उन्हें प्राप्त हो जानी चाहिए। अतः [illegible] [illegible] आरक्षी अनुशंसा घटना के एक माह के अन्दर क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक को और क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक एक सप्ताह के अन्दर प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक को सारे [illegible] कागजात के साथ भेज देंगे। प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक अपनी अनुशंसा एक सप्ताह के [illegible] इस मुख्यालय को भेजेंगे।

2.(क)- वीरता पदक की अनुशंसा के साथ निम्नांकित कागज और सूचनाएं [illegible] भेजी जायं अन्यथा अनुशंसा पर विचार करना सम्भव नहीं होगा :-

क- अंग्रेजी में दो पन्नों का प्रोद्धरण.

ख- विहित प्रपत्र में सत्य निष्ठा का प्रमाण-पत्र.

ग- प्राथमिकी, पर्यवेक्षण टिप्पणी, जख्म प्रतिवेदन अन्त्य परीक्षण प्रतिवेदन, जप्ती सूची इत्यादि की सच्ची अभिप्रमाणित प्रति (तीन-तीन प्रतियों में)

घ- मुठभेड़ में शामिल प्रत्येक पदाधिकारी/कर्मी का नाम पदनाम, उनके पास उपलब्ध हथियार की विवरणी, उनमें से प्रत्येक को दिए गए पुरस्कार और सजा की विवरणी।

च- घटना की जांच किसी मैजिस्ट्रेट द्वारा हुई हो तो उनका प्रतिवेदन अथवा घटना के संबंध में किसी न्यायालय में परिवाद हो तो उसकी सूचना।

कृ.पृ.उ.- 2/-

3- बिहार पुलिस हस्तक नियम 660सी.-संशोधित 1989 के अन्तर्गत जारी [illegible] [illegible] [illegible] बिहार पुलिस [illegible] प्रक्षेत्रीय स्तर पर गठित पर्षद [illegible] के मामलों की समीक्षा प्रत्येक जनवरी माह में [illegible] [illegible] सूचनाओं के साथ इस मुख्यालय में भेजा जाता [illegible] [illegible] और निम्नांकित अभिलेखों [illegible] [illegible]

क- सेवा पुस्तिका तथा अद्यतन गोपनीय चरित्र पुस्तिका स.अ.नि. [illegible]

स्थानापन्न [illegible] निरीक्षक कोटि तक की।

ख- विभागीय कार्यवाही लंबित होने अथवा नहीं होने की [illegible]

ग- अनुशंसित पदाधिकारी/कर्मी की वर्तमान कोटि में संपुष्टि [illegible]

[illegible] गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के लिए पुलिस पदकों की अनुशंसा [illegible] [illegible] 5 मई तक भारत सरकार को भेज दी जाती हैं। अतः इस मुख्यालय [illegible] [illegible] की अनुशंसाएं सारे कागजों/अभिलेखों के साथ क्रमशः 26 अगस्त और [illegible] [illegible] अनुशंसाएं क्रमशः 26 जुलाई और 15 [illegible] [illegible] चाहिए। आरक्षी अधीक्षक [illegible] आरक्षी उप-महानिरीक्षक [illegible] [illegible] उप-महानिरीक्षक को [illegible] मार्च तक भेज देंगे। प्रक्षेत्रीय [illegible] [illegible] को क्रमशः 10 अगस्त तथा [illegible] मार्च तक [illegible] कागजातों/अभिलेखों [illegible] [illegible] अनुशंसाओं की व्यापक समीक्षा [illegible] [illegible] क्रमशः 26 अगस्त और 15 मार्च तक निश्चित रूप से भेज दिया जाता [illegible]

[illegible] अनुशंसाओं के साथ निम्नांकित कागज/अभिलेख/सूचना भेजना जरूरी है, [illegible] नहीं होगा:-

1- अनुशंसित पदाधिकारी/कर्मी के संबंध में अंग्रेजी में दो पन्नों का प्रोद्धरण।

2- विहित प्रपत्र में सत्य निष्ठा का प्रमाण-पत्र।

3- प्रपत्र "ए" में आवश्यक सूचनाएं।

4- विभागीय कार्यवाही लंबित होने अथवा नहीं होने की सूचना।

5- सेवा पुस्तिका तथा स0अ0नि0 से आरक्षी निरीक्षक कोटि तक की अद्यतन गोपनीय चरित्र पुस्तिका।

4 ख- गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपतिजी द्वारा [illegible] के पुलिस पदक प्रदान किए जाते हैं:- 1. सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक [illegible] सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक/जिस पुलिस पदाधिकारी/कर्मी की [illegible] विचार करने की तिथि तक पन्द्रह वर्षों की हो, उसे सराहनीय सेवा के लिए [illegible] हेतु अनुशंसित किया जा सकता है। सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक पाने के बाद [illegible] पुलिस पदाधिकारी/कर्मी की सेवाएं विचार करने की तिथि तक पूरे छः वर्षों की [illegible] सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक हेतु अनुशंसित किया जा सकता है।

क्र.पृ.

पुलिस बल की हर पंक्ति के पदाधिकारियों/कर्मियों को अनुशंसा में समाविष्ट किया जाय और अल्प संख्यक/कमजोर वर्ग/ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के पदाधिकारियों/कर्मियों को भी अनुशंसित किया जाय । साम्प्रदायिक/नक्सली/आतंकवादी घटनाओं में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस पदाधिकारियों /कर्मियों को अनुशंसित करने के संबंध में विशेष रूप से विचार किया जाय।

इस पत्र की प्राप्ति सूचना भेंजे ।

ह० अपठनीय

॥ अरूण कुमार चौधरी ॥
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार ।

ज्ञापांक 5022 /एक्स.पी.
एक्स.पी.ऐ.- 45-91

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार, पटना ।

पटना, दिनांक 23 अप्रैल 91।

प्रतिलिपि:-

1- सभी महानिदेशकों/अपर महानिदेशकों/महानिरीक्षकों/क्षेत्रीय महानिरीक्षकों/आरक्षी उप-महानिरीक्षकों/आरक्षी अधीक्षकों/रेल आरक्षी अधीक्षकों/समादेष्टाओं/प्राचार्यों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित ।

2- सचिव गृह॥आरक्षी॥ विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ ।

ह० अपठनीय 23/4/91

॥ राज्यवर्द्धन शर्मा ॥
आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक॥कार्मिक॥
बिहार, पटना ।

...22-4-91

ार संशो-
बलदार एवं
रेल पुलिस
है अतएव रेल
पदस्थापन
र प्रशिक्षण
निरीक्षक,
विशेष
होगा ।
हार, पटना
राएँ, बिहार,
ो सूचनार्थ
रेलवे/आरक्षी
/आरक्षी
बिहार, पटना।
विधेयक में/